समक्ष माननीय सदस्य महोदय म0प्र0 राजस्व मण्डल कैम्प भोपाल

प्रकरण क्र. /निगरानी /15

1.रामप्यारी बाई पत्नी स्व0 श्री हरी प्रसाद
2.सतीश आ0 स्व0 श्री हरीप्रसाद
3.सुनील आ0 स्व0 श्री हरीप्रसाद
4.मंगलेश आ0 स्व0 श्री हरीप्रसाद
निवासीगण ग्राम मैना तहसील आष्टा
जिला सिहोर म0प्र0 .....आवेदकगण

विरूद्ध

1.घीसीबाई पत्नी स्व0 श्री बंशीलाल
2.बद्रीप्रसाद आ0 स्व0 श्री बंशीलाल
3.सौभाल सिहं आ0 स्व0 श्री बंशीलाल
निवासीगण ग्राम मुगली तहसील आष्टा
जिला सिहोर म0प्र0 .....अनावेदकगण

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदकगण विद्वान अपर आयुक्त भोपाल सभाग भोपाल उनके प्रकरण क0 463/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 08/07/15 से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है ।

:: प्रकरण के तथ्य ::

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है ग्राम मैना तहसील आष्टा जिला सिहोर म0प्र0 स्थित भूमि खसरा क0 367/1, खसरा क0 368/1, खसरा क0 381/3/2, खसरा क0 442/1, खसरा क0 446,447/1, खसरा क0 462/1, खसरा क0 931/2, खसरा क0 1035/2क, खसरा क0 1067, खसरा क0 10767/1, खसरा क0 3156/381/3, खसरा क0 3156/330/3/2 कुल रकवा 10.35 एकड भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रत्यर्थी क0 1 के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। उक्त सम्पति प्रत्यर्थी क0 1 को अपने पिता से प्राप्त हुई थी । ग्राम मैना के अतिरिक्त आवेदकगण एवं अनावेदकगण कि ग्राम मुगली में पैतृक सम्पति थी । अनावेदक क0 2 व 3 द्वारा उनके हिस्से में आयी ग्राम मुगली एवं ग्राम मैना कि भूमि पृथक–2 इकरारनामो के आधार पर आवेदक क0 1 के पति एवं आवेदक क0 2 लगायत 4 के पिता श्री हरिसिहं को विक्रय कर दी

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 3454/II/15 जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4.3.16	मैंने आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने एवं नस्ती का परिशीलन किया। इससे मुझे यह स्पष्ट हुआ है कि अपर आयुक्त ने ~~[illegible]~~ नामांतरण पंजी के ~~जिस~~ नामांतरण प्रमाणीकरण दि. 10.3.09 को निरस्त किया है, उसका आधार उन्होंने यह माना है कि मृतक घासीबाई पति धीरा की प्रश्नाधीन भूमियां कुल रकबा 10.35 एकड़ का वारसाना नामान्तरण घासीबाई के केवल एक पुत्र के उत्तराधिकारियों के हित में कर दिया गया है और उसके शेष चार पुत्रों को न तो कोई सूचना दी गई है न वारिसाना हक। इस सीमा में अपर आयुक्त का आदेश विधिसंगत होना स्पष्ट है। अनु. अधि. के आदेश दि. 18-02-13 द्वारा भी उक्त नामान्तरण निरस्त कर तहसीलदार को सभी पक्षकारों को सुनकर पुनः बटवारा करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि अनु. अधि. ने अपने	

R-3454-II/15 सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	न्यायालय के अपीलीय प्रकरण में वारसाना नामान्तरण और बटवारे के संबंध में स्वयं अन्तिम निर्णय नहीं लिया और प्रकरण में तहसीलदार को इस संबंध में निर्णय लेने के लिए प्रत्यावर्तन की प्रकृति के निर्देश दे दिए हैं, जबकि अपीलीय प्रकरण में उन्हें ऐसा नहीं करते हुए अन्तिम निर्णय स्वयं ही लेना चाहिए था। अपर आयुक्त द्वारा इस बिन्दु पर टीका करते हुए कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाना उपयुक्त नहीं है।	
	अतः मैं अपर आयुक्त का आक्षेपित आदेश दि 8-7-15, ऊपर बताए अनुसार, आंशिक रूप से सही और आंशिक रूप से त्रुटिपूर्ण पाता हूँ, और उसमें तहसीलदार के आदेश को निरस्त किए जाने के निष्कर्ष को यथावत रखते हुए (अर्थात् तहसीलदार के आदेश का निरस्तीकरण सही मानते हुए), अनु. अधि. के आदेश को सही मानने के निष्कर्ष को सही नहीं पाकर x इस अंश को निरस्त करता हूँ।	

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 3454/II/15 जिला सीहोर

रामप्यारी विरुद्ध पी.सी.बाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	साथ ही अनु-अधि, आष्टा को यह निर्देश देता हूँ कि वे अपने न्यायालय का प्र.क्र. 16/अपील/09-10 पुनः खोलें और उसमें वारसाना नामान्तरण, बंटवारा आदि जिन भी बिन्दुओं पर निर्णय लिया जाना शेष रह गया है, उन पर अन्तिम निर्णय अपने स्तर से लें और अपने अपीलीय प्रकरण में प्रत्यावर्तन की प्रकृति का कोई आदेश पारित नहीं करें।	
	आदेश पारित।	
	पक्षकार एवं अनु. अधि, आष्टा सूचित हों।	
	प्रकरण समाप्त। दा. द. हो।	
	(हस्ताक्षर) 4.3.16 (सदस्य)	